



बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा Civil Appeal Nos. - 6072/2023 with 6073/2023 with 6074/2023 में दिनांक 22.09.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में 30वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (वि.सं. 06/2018) के अंतर्गत 02 उम्मीदवारों का अन्तिम परीक्षाफल


विज्ञापन संख्या - 06/2018 के अन्तर्गत असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पदों पर नियुक्ति हेतु 30वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों की अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा Civil Appeal Nos. - 4242/2022, 4243/2022, 4244/2022, 4245/2022, 4246/2022 एवं 4247/2022 में दिनांक 23.05.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में कुल 08 अतिरिक्त सफल उम्मीदवारों की अनुशंसा भी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार को उपलब्ध करायी जा चुकी है। सदृश मामले से सम्बन्धित Civil Appeal Nos. - 6072/2023 with 6073/2023 with 6074/2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22.09.2023 को 02 उम्मीदवारों, अनुक्रमांक - 104415, स्वीटी कुमारी एवं अनुक्रमांक - 118577 को सफल घोषित करने का आदेश पारित किया गया है।

दिनांक 11.06.2022 को प्रकाशित अतिरिक्त अन्तिम परीक्षाफल हेतु 695 उम्मीदवारों की संयुक्त मेधा सूची तैयार की गयी थी। उपर्युक्त 02 उम्मीदवारों को शामिल करने के उपरान्त संशोधित संयुक्त मेधा सूची में शामिल उम्मीदवारों की कुल संख्या - 697 हो जाती है जिसमें अनुक्रमांक - 118577, संयुक्त मेधा क्रमांक - 71 पर एव अनुक्रमांक - 104415 संयुक्त मेधा क्रमांक - 640 पर अवस्थित हैं।

तदालोक में आयोग, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा Civil Appeal Nos. - 6072/2023 with 6073/2023 with 6074/2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22.09.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में 30वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (वि.सं. 06/2018) के अन्तर्गत अनारक्षित (01) कोटि की रिक्ति के विरुद्ध अनुक्रमांक - 118577, विक्रमादित्य मिश्रा एवं अनुसूचित जाति की रिक्ति के विरुद्ध अनुक्रमांक - 104415, स्वीटी कुमारी को सफल घोषित करता है।

तिथि: 25 नवम्बर, 2023


25/11/23
परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना